

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा0/147/2015-1/430/2014 लखनऊ दिनांक 11 मार्च, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-14 आवोजनागत एट में आगौण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आवंटित की गयी धनराशि के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज, अनुभाग-3 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 667/33-3-2014-100 (21)/2014 दिनांक 09.03.2015 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत शासनादेश संख्या 7/2015/322/33-3-2015-100(21)/2014 दिनांक 11.02.2015 के अन्तर्गत रु० 13.23 लाख प्रति इकाई लागत के आधार पर जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार कुल 755 अन्त्येष्टि की संख्या हेतु कुल रु० 9988.65 लाख शौकृति प्रदान की गयी है।

उक्त काम में अद्यतन करना है कि, शासनादेश दिनांक 31.12.2014 में अतिरिक्त संशोधन करते हुए उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.03.2015 के साथ संलग्न फॉट के अनुसार जनपद के नाम के सामुख अंकित अन्त्येष्टि स्थलों का संख्या (कालम संख्या-5) व धनराशि (कालम संख्या-6) के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

11.3.

(उदयवीर सिंह रावत),
निदेशक,
पंचायती राज, उ०प्र०।

संख्या: 1/शा0/147/1/2015 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, एल०एल०एल०-211001.
- 2- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- 4- समस्त, जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
- 5- समस्त, मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- समस्त, मण्डलीय उपनिदेशक (40), उ०प्र०।
- 7- जिला पंचायत राज अधिकारी(गु०), पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।
- 8- एस०पी०एम०गु० सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(महेश्वर श्रीवास्तव)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

प्रेषक:

एस।पी।ओ. सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ०प्र० लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में प्रांतीय क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

लखनऊ दिनांक: 09 मार्च, 2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/512/2015-5/52/2015, दिनांक 04 मार्च, 2015 के द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-20/3580/33-3-2014-100(21)/2014, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 द्वारा अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत 2014-15 में उक्त योजना के लिये प्रावधानित रु० 10000.00 लाख में से रु० 9992.64 लाख की धनराशि जनपदवार फॉट के अनुसार स्वीकृत की गयी थी। उक्त शासनादेश में जनपदवार फॉट अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण में प्रति इकाई लागत रु० 14.87 के आधार पर आगणित की गयी थी। शासनादेश संख्या-7/2015/322/33-3-2015-100(21)/2014, दिनांक 11 फरवरी, 2015 द्वारा निर्णय लिया गया है कि रु० 13.23 लाख प्रति अन्त्येष्टि स्थल के आधार पर निर्माण कार्य किया जायेगा। आपके द्वारा संशोधित लागत के आधार पर जनपदवार फॉट का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 में आंशिक संशोधन करते हुये अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत 2014-15 में उक्त योजना के लिये प्रावधानित धनराशि रु० 10000.00 लाख में से रु० 9988.85 लाख की धनराशि जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वहन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 को इस सीमा तक संशोधित सम्झा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 एवं 11 फरवरी, 2015 की शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत रहेंगे।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(एस।पी।ओ. सिंह)
अनु सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजिए-
- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ०प्र० इलाहाबाद।
 - 2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प्र०।
 - 3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
 - 4- समस्त मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ०प्र०।
 - 5- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
 - 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
 - 7- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2
 - 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एस।पी।ओ. सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश क्र 667/33-3-2015-100(21)/2014 दिनांक 9 मार्च 2015
 का तालिका

अत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु समस्त जनपदों को आवंटित की गयी धनराशि के
 सापेक्ष संशोधित शासनादेश दिनांक 11.02.2015 में संशोधित दर के अनुसार
 जनपदवार धनराशि की स्थिति

क्र. सं.	जनपद का नाम	शासनादेश दिनांक 31.12.2014 के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले अत्येष्टि स्थलों की संख्या व अवमुक्त धनराशि		संशोधित निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्मित किये जाने वाले अत्येष्टि स्थलों की संख्या	धनराशि लाख में	
		निर्मित किये जाने वाले अत्येष्टि स्थलों की संख्या	प्रस्तावित धनराशि @ 14.87 लाख प्रति इकाई की दर से		संशोधित दिनांक 11.02.2015 के अन्तर्गत 100-1323 लाख प्रति इकाई की दर से आवंटित धनराशि	जनपद स्तर पर सम्भावित बचत (कालम 4-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा	12	178.44	14	185.22	-6.78
2	फिरोजाबाद	7	104.09	8	105.84	-1.75
3	मथुरा	8	118.96	9	119.07	-0.11
4	मैनपुरी	7	104.09	9	119.07	-14.98
5	अलीगढ़	10	148.70	11	165.55	3.17
6	हाथरस	6	89.22	6	79.38	9.84
7	एटा	7	104.09	8	105.84	-1.75
8	कासगंज	6	89.22	6	79.38	9.84
9	जालौन	7	104.09	8	105.84	-1.75
10	झाँसी	7	104.09	7	92.61	11.48
11	ललितपुर	5	74.35	5	66.15	8.20
12	इलाहाबाद	16	237.92	20	264.60	-26.68
13	कौशांबी	7	104.09	7	92.61	11.48
14	प्रतापगढ़	14	208.18	15	198.45	9.73
15	फतेहपुर	11	163.57	12	158.76	4.81
16	बाँदा	7	104.09	7	92.61	11.48
17	हमीरपुर	6	89.22	6	79.38	9.84
18	महोबा	3	44.61	4	52.92	-8.31
19	चित्रकूट	4	59.48	5	66.15	-6.67
20	अम्बेडकरनगर	7	104.09	8	105.84	-1.75
21	अमेठी	11	163.57	12	158.76	4.81
22	फैजाबाद	9	133.83	10	132.30	1.53
23	बाराबंकी	12	178.44	14	185.22	-6.78
24	सुलतानपुर	11	163.57	13	171.99	-8.42
25	बलरामपुर	7	104.09	8	105.84	-1.75
26	बहराइच	11	163.57	13	171.99	-8.42
27	गोण्डा	13	193.31	15	198.45	-5.14

क्र. सं.	जनपद का नाम	शासनादेश दिनांक 31.12.2014 के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले अत्येष्ट स्थलों की संख्या व अवमुक्त धनराशि		संशोधित निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्मित किये जाने वाले अत्येष्ट स्थलों की संख्या	संशोधित निर्गत शासनादेश दिनांक 11.02.2015 के अन्तर्गत 10-15.23 लाख प्रति इकाई की दर से स्वीकृत धनराशि		जनपद स्तर पर सन्शोधित मंचत (कालम 4-8)
		निर्मित किये जाने वाले अत्येष्ट स्थलों की संख्या	प्रस्तावित धनराशि @ 14 87 लाख प्रति इकाई की दर से		निर्मित किये जाने वाले अत्येष्ट स्थलों की संख्या व पूर्व में स्वीकृत अत्येष्ट स्थलों की संख्या के अन्तर्गत		
1	2	3	4	5	6	7	
28	श्रावस्ती	4	59.48	5	66.15	-6.67	
29	बस्ती	11	163.57	13	171.99	-8.42	
30	संतकबीरनगर	7	104.09	8	105.84	-1.75	
31	सिद्धार्थनगर	11	163.57	13	171.99	-8.42	
32	गोरखपुर	16	237.92	17	224.91	13.01	
33	महाराजगंज	10	148.70	11	145.53	3.17	
34	देवरिया	13	193.31	15	198.45	-5.14	
35	कुशीनगर	11	163.57	13	171.99	-8.42	
36	आज़मगढ़	18	267.66	22	291.06	-23.40	
37	मऊ	7	104.09	8	105.84	-1.75	
38	बलिया	14	208.18	15	198.45	9.73	
39	बदायूं	12	178.44	15	198.45	-20.01	
40	बरेली	12	178.44	14	185.22	-6.78	
41	पीलीभीत	6	89.22	6	79.38	9.84	
42	शाहजहाँपुर	12	178.44	14	185.22	-6.78	
43	अमरोहा	5	74.35	5	66.15	8.20	
44	बिजनौर	9	133.83	10	132.30	1.53	
45	सम्भल	7	104.09	7	92.61	11.48	
46	मुरादाबाद	7	104.09	7	92.61	11.48	
47	रामपुर	5	74.35	5	66.15	8.20	
48	गाजियाबाद	3	44.61	4	52.92	-8.31	
49	गौतमबुद्धनगर	3	44.61	4	52.92	-8.31	
50	हामुड	3	44.61	4	52.92	-8.31	
51	बागपत	5	74.35	5	66.15	8.20	
52	बुलन्दशहर	13	193.31	15	198.45	-5.14	
53	मेरठ	10	148.70	11	145.53	3.17	
54	शामली	4	59.48	5	66.15	-6.67	
55	मुजफ्फरनगर	7	104.09	8	105.84	-1.75	
56	सहारनपुर	9	133.83	10	132.30	1.53	
57	मिर्जापुर	10	148.70	11	145.53	3.17	
58	सोनमद्र	7	104.09	7	92.61	11.48	

क्र. सं.	जनपद का नाम	शासनादेश दिनांक 31.12.2014 के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले अत्येष्ट स्थलों की संख्या व अवशुद्ध धनराशि		संशोधित निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्मित किये जाने वाले अत्येष्ट स्थलों की संख्या	संशोधित निर्गत शासनादेश दिनांक 31.02.2015 के अन्तर्गत 40-13.23 लाख प्रति इकाई की दर से प्रवीकृत धनराशि	जनपद स्तर पर सम्भावित बचत (वास्तविक - 4-8)
		निर्मित किये जाने वाले अत्येष्ट स्थलों की संख्या	प्रस्तावित धनराशि @ 14.87 लाख प्रति इकाई की दर से			
1	2	3	4	5	6	7
59	सं0र0नगर	5	74.35	5	66.75	8.20
60	वाराणसी	7	104.09	7	92.61	11.48
61	चन्दौली	7	104.09	8	105.84	-1.75
62	गाजीपुर	13	193.31	16	211.68	-18.37
63	जीनपुर	17	252.79	19	251.37	1.42
64	लखनऊ	7	104.09	8	105.84	-1.75
65	उन्नाव	13	193.31	15	198.45	-5.14
66	रायबरेली	15	223.05	16	211.68	11.37
67	हरदोई	16	237.92	17	224.91	13.01
68	सीतापुर	16	237.92	17	224.91	13.01
69	खीरी	12	178.44	14	185.22	-6.78
70	इटावा	7	104.09	8	105.84	-1.75
71	औरैया	6	89.22	6	79.38	9.84
72	कन्नौज	7	104.09	8	105.84	-1.75
73	कानपुर नगर	8	118.96	9	119.07	-0.11
74	फर्रुखाबाद	6	89.22	6	79.38	9.84
75	कानपुर देहात	8	118.96	9	119.07	-0.11
	कुल योग--	672	9992.64	755	9988.65	

4

सिले

les

(एस० एन० सिंह)
जिला संघायत राज अधिकारी (मु०)
राज्यपाल, उ० ३० ।